

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-1
77/संख्या-13/9/98-का-1-2014
लखनऊ :: दिनांक 08 अगस्त, 2014

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014"

संक्षिप्त प्रारम्भ	नाम और	1.	(1)	यह नियमावली "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014" कही जायेगी।
			(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम संशोधन	3 का	2.		उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 3 के विद्यमान भाग के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया भाग रख दिया जायेगा, अर्थात् :-
शास्तियाँ		3.		स्तम्भ-1 विद्यमान भाग लघु शास्तियाँ (एक) परिनिन्दा; (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि को रोकना, (तीन) किसी दक्षतरोध को रोकना, (चार) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि का पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया
				स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित भाग लघु शास्तियाँ (एक) परिनिन्दा; (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि को रोकना, (तीन) किसी दक्षतारोध को रोकना, (चार) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि का पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया

जाना, जाना,
(पांच) समूह "घ" पदों को (पांच) समूह "घ" पदों को
धारण करने वाले व्यक्तियों के धारण करने वाले व्यक्तियों के
मामले में जुर्माना: मामले में जुर्माना:

परन्तु ऐसे जुर्माने की परन्तु यह कि ऐसे
धनराशि किसी भी स्थिति में, जुर्माने की धनराशि किसी भी
उस मास के वेतन के, स्थिति में, उस मास के वेतन
जिसमें जुर्माना अधिरोपित के, जिसमें जुर्माना
किया गया हो, पच्चीस अधिरोपित किया गया हो,
प्रतिशत से अधिक नहीं पच्चीस प्रतिशत से अधिक
होगी। नहीं होगी;

(छः) अवचार

नियम 10 का (3) उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान
प्रतिस्थापन नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख
दिया जायेगा, अर्थात् :-

लघु शास्तियाँ 10.
अधिरोपित करने के
लिए प्रक्रिया

(1)जहां अनुशासनिक (1)जहां अनुशासनिक प्राधिकारी
प्राधिकारी का समाधान हो का समाधान हो जाय कि ऐसी
जाय कि ऐसी प्रक्रिया को प्रक्रिया को अंगीकार करने के
अंगीकार करने के लिए लिए समुचित और पर्याप्त
समुचित और पर्याप्त कारण कारण हैं, वहां वह उपनियम
हैं, वहां वह उपनियम (2) (2) के उपबन्धों के अध्यक्षीन
के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए नियम 3 में
रहते हुए नियम 3 में उल्लिखित एक या अधिक लघु
उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित कर
लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर
कर सकेगा। सकेगा।

(2)सरकारी सेवक को उसके (2)सरकारी सेवक को उसके
विरुद्ध अभ्यारोपणों का सार विरुद्ध अभ्यारोपणों का सार
सूचित किया जायेगा और सूचित किया जायेगा और
उससे एक युक्तियुक्त समय उससे एक युक्तियुक्त समय के
के भीतर अपना स्पष्टीकरण भीतर अपना स्पष्टीकरण
प्रस्तुत करने की अपेक्षा की प्रस्तुत करने की अपेक्षा की
जायेगी। अनुशासनिक जायेगी। अनुशासनिक
अधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, अधिकारी उक्त स्पष्टीकरण,

यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश जैसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोपित की जाय वहां उसके कारण दिये जायेंगे। आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को संसूचित किया जायेगा।

(3) यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन शोषण या यौन उत्पीड़न की शिकायत कार्य स्थल के प्रभारी सहित नियुक्ति प्राधिकारी को की जाती है और यदि नियुक्ति प्राधिकारी जांच के प्रयोजनार्थ एक शिकायत समिति (जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा) गठित करता है तो ऐसी शिकायत समिति की रिपोर्ट/निष्कर्ष को जांच रिपोर्ट माना जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अपचारी सरकारी सेवक पर लघु शास्ति आरोपित कर सकता है और एक पृथक जांच संस्थित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

आज्ञा से,
ह0/-
(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/9/98-ka-1-2014, dated August 08 ,2014:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-1
NOTIFICATION

Miscellaneous

77/No. 13/9/98-ka-1-2014

Dated Lucknow, August 08 ,2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999:

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANT (DISCIPLINE AND APPEAL) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2014

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) (First Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force atonce.

Amendment of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, hereinafter referred to as the said rules, for existing part of rule 3 set out in column 1 below, the part as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN-1

Existing part

Minor Penalties

(i) Censure;

(ii)Withholding of increments for a specified period;

(iii)Stoppage at an efficiency bar;

(iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders;

(v) Fine in case of persons holding Group 'D' posts:

Provided that the amount of such fine shall in no case exceed twenty five percent of the months pay in which the fine is

COLUMN-2

Part as hereby substituted

Minor Penalties

(i) Censure;

(ii)Withholding of increments for a specified period;

(iii)Stoppage at an efficiency bar;

(iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders;

(v) Fine in case of persons holding Group 'D' posts:

Provided that the amount of such fine shall in no case exceed twenty five percent of the months pay in which the fine is

Substitution of rule 10	imposed.	imposed; (vi) Misconduct.
Procedure for imposing minor penalties	3. In the said rules, for existing rule 10 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-	3. In the said rules, for existing rule 10 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely :-
	COLUMN-1	COLUMN-2
	Existing rule	Rule as hereby substituted
	<p>10. (1) Where the Disciplinary Authority is satisfied that good and sufficient reasons exist for adopting such a course, it may, subject to the provisions of sub-rule (2) impose one or more of the minor penalties mentioned in rule 3.</p> <p>(2) The Government Servant shall be informed of the substance of the imputations against him and called upon to submit his explanation within a reasonable time. The Disciplinary Authority shall, after considering the said explanation, if any, and the relevant records, pass such orders as he considers proper and where a penalty is imposed, reason thereof shall be given. The order shall be communicated to the concerned Government Servant.</p>	<p>10.(1) Where the Disciplinary Authority is satisfied that good and sufficient reasons exist for adopting such a course, it may, subject to the provisions of sub-rule (2) impose one or more of the minor penalties mentioned in rule 3.</p> <p>(2) The Government Servant shall be informed of the substance of the imputations against him and called upon to submit his explanation within a reasonable time. The Disciplinary Authority shall, after considering the said explanation, if any, and the relevant records, pass such orders as he considers proper and where a penalty is imposed, reason thereof shall be given. The order shall be communicated to the concerned Government Servant.</p> <p>(3) In case a complaint of sexual exploitation or sexual harassment against a Government servant is reported to the Incharge of a work place alongwith the appointing authority and if the appointing authority constitutes a Complaints Committee (in which the inclusion of atleast one female member will be essential) for the purpose of inquiry, the report/findings</p>

of such Complaints Committee shall be deemed to be an inquiry report and the appointing authority may impose minor penalty upon the delinquent Government servant on the basis of such report and there shall be no need to institute a separate inquiry.

By order,

Sd./-

(RAJIV KUMAR)

Principal Secretary

<http://shasanadesh.up.gov.in>